राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1911/2023

उमेश चन्द शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर, जिला भरतपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Vinaua, रूपबास, राज.।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2023
आदेश की दिनांक : 23.05.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रूद्राक्ष शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर 31.03.1987 में हुई थी। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 30.10.1990 के द्वारा स्थाईकरण किया गया। अपीलार्थी ने बी.एड. की शैक्षणिक योग्यता 1995 में की। जिसका इन्द्राज अभिलेख में किया गया। अपीलार्थी द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.01.1997 से प्रथम चयनित वेतनमान श्रृंखला 1400–2600 प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने 19 वर्ष की सेवा दिनांक 31.03.2006 को पूर्ण कर ली, जिस पर आदेश दिनांक 09.04.2007 के द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान श्रृंखला 5500–9000 दिये जाने का आदेश पारित किया

गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.04.2016 के जरिये स्थाई रूप से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को पीबी–।। (9300–34800) ग्रेड–पे 3600/– प्रदान किया गया। अपीलार्थी ने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी। ऐसे में अपीलार्थी पे–ग्रेड 4800 दिनांक 01.07.2013 से प्राप्त करने का अधिकारी था। 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात तृतीय एसीपी 5400 प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवाएं दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण कर ली। अपीलार्थी को तृतीय सलेक्शन ग्रेड (तृतीय एसीपी) पे–ग्रेड 4800 दिनांक 31.03.2014 से प्रदान किये जाने के आदेश दिनांक 28.05.2014 को पारित किया गया। जबकि अपीलार्थी पे–ग्रेड 5400 दिनांक 01.07.2014 से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 01.07.2014 पारित कर वेतन निर्धारण को संशोधित कर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन नियतन में दी गई ग्रेड–पे 4800 के स्थान पर ग्रेड–पे 4200 देय माना और साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2014 तक 4200 ग्रेड–पे के स्थान पर 4800 पे ग्रेड से आहरित अधिक भुगतान की राशि जमा कराये। अपीलार्थी का 27 वर्षीय चयनित वेतनमान 4800 किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय एसीपी लाभ को कम करने का कृत्य अवैध एवं अनुचित है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गयी थी तथा प्रयोगशाला सहायक तत्कालीन सेवानियमों के अनुसार प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड–तृतीय की पे–स्केल समान थी। अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गयी थी तथा अध्यापक ग्रेड–तृतीय ही माना गया तथा समान वेतन श्रृंखला होने के कारण चयनित वेतनमान भी जो अध्यापक ग्रेड–तृतीय को मिलते थे, उसी के अनुसार अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया। अपीलार्थी को 27 वर्षीय एसीपी का लाभ देते हुए ग्रेड–पे 5400 में फिक्सेशन किया गया, परन्तु अवैध व अनुचित रूप से बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की द्वितीय ग्रेड–पे 4800 के स्थान पर 4200 की गयी है एवं तृतीय पे–ग्रेड 5400 के स्थान पर 4800 की गई, जो अवैध व अनुचित रूप से वसूली के आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश में वर्णित प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किये जा सकते हैं। कोई भी प्रावधान

पश्चातवर्ती प्रभाव से लागू किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के सम्बन्ध में भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर अमादा है।

विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 07.08.1998 में प्रथम बार प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय में अंतर किया गया। अध्यापक ग्रेड तृतीय को एन्ट्री पे स्केल नं. 9ए जोडते हुये वेतन श्रृंखला 4500–7000 दी गई, अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत था।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा ग्रेड पे संशोधित करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया कि अध्यापक ग्रेड तृतीय की एन्ट्री पे स्केल ग्रेड पे 3600 मानते हुए 9 वर्षीय, 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय ए.सी.पी. (चयनित वेतनमान) देने पर कर्मचारी को ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 देय है।

उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान पे–स्केल 4200, 4800 एव 5400 की दिलाई जाए।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनाक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया है। प्रयोगशाला सहायक पद का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में (दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013) ग्रेड पे 2400 रूपये में प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात् प्रथम/द्वितीय/तृतीय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया है। अतः वित्त विभाग के आदेश दिनाक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद पर सीधी नियुक्ति तिथि के आधार पर 18 वर्षीय ए.सी.पी. दिनांक 01.07.2013 से 4200 ग्रेड पे में वेतन देय था।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 में उदाहरण संख्या 3 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठ अध्यापक पद की ग्रेड पे 3600/– जिससे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200/– परिवर्तित की गई है। ऐसे अध्यापकों को पूर्व में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. प्रथम के रूप में ग्रेड पे 4200/– अनुज्ञेय थी उनकी अब दिनांक 01.07.2013 से पद की परिवर्तित ग्रेड पे 4200/– के आधार पर ए.सी.पी. प्रथम में ग्रेड पे 4800/– अनुज्ञेय होगी तथा उक्त अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हो चुकी थी तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक की ग्रेड पे 4200/– होती है तथा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 4800/– अपीलार्थी को देय होती है तथा 27 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 5400/– होती है, उसी के अनुसार पूर्व में अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया था व उचित एवं वैद्य था, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के उदाहरण संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड पे को परिवर्तित किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त ग्रेड पे 4200/– रूपये है। ए.सी.पी. की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ग्रेड पे क्रमशः 4200/–, 4800/– एवं 5400/– देय है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में निर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है, जो प्रयोगशाला सहायकों के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गये हैं। वे वरिष्ठ अध्यापक पद का चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी जो प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गया है, वह 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी

करने पर एसीपी के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800, एवं 5400 में फिक्सेशन कराने के अधिकारी हैं और उक्तानुसार सातवें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान पाने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एसीपी के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800, एवं 5400 में फिक्सेशन करते हुए सांतवे वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जावें।

उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में अपीलार्थी की रोकी गई राशि/वेतन से कटौती की राशि को 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)